10.5.17

पत्रावली कैम्प कोर्ट। न्याय कार्य के हवाले से प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी संख्या (1) उपस्थित। प्रतिवादी सं (2) को पूर्व में पत्रावली तामील हुआ। पक्षकारों के आदेश दिये जावेंगे। पत्रावली कैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी 10/5/17
भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :— 35 / 2017

1. उषा कवंर पत्नी नारायण सिंह राजपूत, निवासी आजादनगर भीलवाडा।
2. राजसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह राजपूत, निवासी आजादनगर भीलवाडा।
3. रघुवीर सिंह पिता नारायण सिंह राजपूत, निवासी आजादनगर भीलवाडा।
4. शेरसिंह पिता दलपत सिंह राजपूत, निवासी आजादनगर भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. चेतना पत्नी चन्द्रशेखर जाजू, निवासी 53 काशीपुरी भीलवाडा।
2. अरूणा पुत्री राजेन्द्र प्रसाद चौबे, निवासी 7 बी 8 आर0सी0व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू.—राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 10.05.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू.—राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 09.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आटूण पटवार क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाडा की खतौनी संख्या 47 में स्थित आराजी संख्या 142 रकबा 02—08 बीघा, आराजी संख्या 143/1 रकबा 06—10 बीघा, खतोनी संख्या 528 में आराजी संख्या 143/2 रकबा 5—18 बीघा, खतौनी संख्या 631 आराजी संख्या 2461/149 रकबा 2—09 बीघा, कुल किता 04 कुल रकबा 19—05 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 उपस्थित व विपक्षीगण संख्या 02 की पूर्व में चस्पानगी से तामील। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम आटूण पटवार क्षेत्र आटूण, तहसील भीलवाडा की खतौनी संख्या 47 में स्थित आराजी संख्या 142 रकबा 02—08 बीघा, आराजी संख्या 143/1 रकबा 06—10 बीघा, खतोनी संख्या 528 में आराजी संख्या 143/2 रकबा 5—18 बीघा, खतौनी संख्या 631 आराजी संख्या 2461/149 रकबा 2—09 बीघा, कुल किता 04 कुल रकबा 19—05 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 2000/— अक्षरे दो हजार रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/— रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 10.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा